



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 148 सन् 2026

राजीव कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., रवि प्रकाश सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी के संक्षिप्त विवरण के साथ श्री विकास यादव (एओआर संख्या ए/जी 1683/2023) और उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह को सुना।
2. उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह ने एक बयान दिया है कि दिनांक 12.01.2026 के आदेश के अनुसरण में, उनके पास दिनांक 10.01.2026 के मेसर्स ओआईसी लीगल सेल के हस्ताक्षर के अधीन निर्देश प्राप्त हैं और वह इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता अग्रिवीर ट्रेड्समैन के पद पर चयन के लिए एक इच्छुक था। चयन संपन्न हो गया। यद्यपि, उसका दावा है कि उसका चयन हो गया लेकिन उसके विरुद्ध आपराधिक मामला संख्या 79 सन् 2023, भा0दं0सं0 की धारा 323, 312, 504, 506 के अंतर्गत पुलिस थाना गोला, जिला गोरखपुर लंबित रहा। रिट याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसे संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके अनुसार रिट याचिकाकर्ता को 24.12.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 01.01.2026 को दूसरा और अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन रिट याचिकाकर्ता ने इसका जवाब नहीं दिया है।
5. श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि यह रिट याचिकाकर्ता पर है कि वह कारण बताओ नोटिस का जवाब दे और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाए।
6. प्रतिवाद में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता 24.12.2025 की कारण बताओ नोटिस और 01.01.2026 की दूसरी अंतिम कारण बताओ नोटिस का अपना जवाब/उत्तर 28.03.2026 तक प्रस्तुत करे और उक्त प्रस्ताव पर, सक्षम प्राधिकारी उसके बाद एक महीने की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत और उचित आदेश पारित करेगा।
7. निर्देशों की एक प्रति रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दी जाए और चूंकि कारण बताओ नोटिस और अंतिम कारण बताओ नोटिस पहले ही पृष्ठ -2 और 3 पर संलग्न किया गया है, इसलिए यह माना जाएगा कि रिट याचिकाकर्ता को पूरी जानकारी है क्योंकि यह रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिया गया है। इसे अभिलेख पर भी लिया जाता है और परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

मार्च 11, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"